



निग 12707/II/15

53

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल  
निगरानी प्रकरण क्र...../15

लक्ष्मण सिंह आ.श्री हरिप्रसाद रघुवंशी आयु वयस्क  
निवासी व कृषक ग्राम खजुरियाकलां,  
तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

अमर सिंह आ.मिश्रीलाल रघुवंशी आयु वयस्क  
संपत्त बाई पुत्री मिश्रीलाल रघुवंशी आयु वयस्क  
दोनो निवासी व कृषक ग्राम खजुरियाकलां,  
तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959  
विरुद्ध आदेश दिनांक 29/06/2015 जो प्रकरण क्र.  
10/अ-12/2014-15में अधीनस्थ तहसीलदार श्यामपुर  
द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,  
निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य  
एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हूँ -

-:: तथ्य ::-

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्यामपुर जिला-सीहोर के समक्ष भूमि सर्वे नं.84/2, 792/81/3 रकबा 4.521 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बतलाते हुए दिनांक 02/06/2015 को हल्का पटवारी के साथ राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाना बतलाया गया।
2. यह कि तथाकथित सीमांकन दिनांक 02/06/2015 में वादग्रस्त भूमि सर्वे 84/2 रकबा 2214 हेक्टेयर के अंश भाग रकबा 0.081 हेक्टेयर पर


श्री बिजेन्द्र श्रीवास्तव  
अभिभाषक द्वारा  
काज दिनांक आज  
दिनांक 28-7-15  
को भोपाल कैंप  
पर प्रस्तुत  
G/mj  
28-7-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2707-II/15

जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	<p>प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-06-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है ।</p> <p>कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>